

जावे
30/11/2021


उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या:-1598 / XI / 21 / 56(43)2021टी0सी0
देहरादून: दिनांक 30 नवम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 95 विकास खण्डों में ILSP एवं USRLM के समूहों के साथ ग्रामीण उद्यमों की स्थापना हेतु ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) हेतु DEA, भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। दिसम्बर, 2021 के प्रथम सप्ताह में IFAD के बोर्ड में उक्त परियोजना का औपचारिक अनुमोदन तथा जनवरी, 2022 में भारत सरकार व राज्य सरकार एवं IFAD के मध्य त्रिपक्षीय ऋण अनुबन्ध निष्पादित किया जाना प्रस्तावित है। त्रिपक्षीय ऋण अनुबन्ध निष्पादित किये जाने से पूर्व ऋण Negotiation बैठक हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड एवं IFAD-ILSP, उत्तराखण्ड की ओर से निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है-

1. श्री आनन्द स्वरूप, अपर सचिव एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ० अहमद इकबाल, अपर परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2- कृपया उक्तानुसार नामित अधिकारियों से अपेक्षा है कि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के स्तर पर बैठक हेतु सम्पर्क-समन्वय स्थापित करते हुये, उक्त बैठक में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की ओर से नामित अपर सचिव के साथ प्रतिभाग करने/यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस.ए. मुरुगेशन)
सचिव २

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, DEA, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
2. Country Director Asia and Pacific Division Programme Management Department UN House, New Delhi.
3. सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री सी० रविशंकर, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, ILSP, देहरादून।
6. संबंधित अधिकारीगण।

आज्ञा से,

(अजीत सिंह)
उप सचिव
६